

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक - एफ.3(ग)/ एसीपी 92 (सा0)/अलेसे-11/20069-83 दिनांक:- 25.02.2014

आदेश संख्या.....387/2013-14

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम)/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ11(7) वित्त (नियम) पार्ट-I/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे-बेण्ड 2(3300-34800) ग्रेड पे 4200/- एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 5 जुलाई,2013 के अनुसरण में दिनांक 1.7.2013 से ग्रेड पे 4800/- में स्वीकृत की जाती हैं :-

क्र.सं.	नाम लेखाकार सर्व श्री	जन्मतिथि	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
01.	मंगत राम भीणा	26.06.1960	02.05.95	02.05.13	
02.	जितेन्द्र सिंह भाटी	28.09.1969	10.03.95	10.03.13	
03.	वनवारी लाल भीणा	11.07.1969	20.03.95	20.03.13	
04.	बाबूलाल भीणा	12.07.1968	30.03.95	30.03.13	
05.	गिरधारी लाल भीणा	01.01.1969	13.03.95	13.03.13	
06.	जयसिंह भीणा	22.10.1962	09.03.95	09.03.13	

उक्त लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

उपरोक्त क्रम संख्या 2, 3,4 व 5 पर उल्लेखित लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके वेतन कोई विभागीय जाच लम्बित नहीं है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक - एफ.3(ग)/ एसीपी 92 (सा0)/अलेसे-11/20069-83 दिनांक:- 25.02.2014

निदेशालय निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री..... लेखाकार कार्यालय.....
3. निजी सहायक, निदेशक महोदय
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त लेखाकार के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) /निजी/गार्ड फाईल ।


(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)